<u>न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर (राजस्थान)</u>

पीठासीन अधिकारी : **श्री प्रवीण कुमार**, R.H.J.S.

विविध आपराधिक प्रकरण : 278/2026 (CIS N0.278 /2026)

1. आकश शर्मा पिता देवकरण शर्मा उम्र 28 साल निवासी गावं पीपली पीएस पीलानी जिला झूंझनु राज.

––प्रार्थीग/अभियुक्त––

<u>ब ना म</u>

राजस्थान राज्य ।

––अप्रार्थी––

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस.
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 117/2026, पुलिस थाना चौरासी, जिला डूंगरपुर
<u>अपराध अंतर्गत धारा 19/54, ,57 राजस्थान आबकारी अधिनियम</u>

<u>उपस्थित</u> :
1. श्री नगीन पटेल, अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री उदयसिंह चौहान, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

:: <u>आदेश</u> :: **दिनांक : 06.06.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 29.05.2026 को मन् एसएचओ भवंरसिंह, पुलिस निरीक्षक, पुलिस थाना चौरासी, थाने से समय 01:03 पीएम बजे सरकारी वाहन बोलेरो से मय कानि. चालक पंकज कुमार नं. 721 के वास्ते सर्कल गश्त हेतु ओपी वैजा की तरफ रवाना हुआ एवं ओपी वैजा प्रभारी श्री हजारीलाल हैड कानि. नं. 512 को जरिये वायरलैस कॉल करके मय जाब्ते के बावर्दी उपस्थित मिलने के निर्देश दिये कि रास्ते में जरिये मुखबीर सूचना मिली की एक पीकप नम्बर एचआर 61एफ 2553 में अवैध अग्रेजी शराब भरी होकर को उसका चालक डूंगरपुर तरफ से वैजा, झौंथरी, सीमलवाड़ा होकर गुजरात तरफ शराब तस्करी हेतु लेकर जाने वाला है अगर बैंजा चोकी के सामने हाईवे रोड़ पर तुरन्त नाकाबंदी की जावे तो पकड़ में आ सकती है। सूचना मुखबीर की विश्वसनीय होकर कार्यवाही हेतु मन् थानाधिकारी पुलिस चौकी वैजा पर समय 01:10 पीएम बजे पहुंचा। पुलिस चोकी वैजा पर जाब्ता हैड कानि० हजारीलाल नं. 512, वीरमल कुमार कानि. नं. 735, लोकेश कुमार कानि. नं. 816 व दिनेश कानि.नं. 105 बावर्दी उपस्थित मिले इन्हें मुखबीर सूचना से अवगत करवाया। चुकि मुखबीर सूचना विश्वसनीय होकर उक्त वाहन नम्बर एचआर 61एफ 2553 की तलाशी के सम्बंध में न्यायालय से वारंट जारी करवाने में समय लगेगा तब तक माल खुर्द–बुर्द होने की पूर्ण सम्भवाना को देखते हुए मन् थानाधिकारी द्वारा अन्तर्गत धारा 47 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 का मुर्तिब

कर कार्यवाही हेतु पुलिस चौकी वैजा के उक्त जाब्ते को हमरा साथ लेकर पुलिस चौकी वैजा के सामने स्टेट हाईवे रोड़ 54 पर नाकाबंदी प्रारंभ की तो समय 1:15 पीएम बजे स्टेट हाईवे 54 पर डूंगरपुर की तरफ से मुखबीर की सूचना के मुताबिक पीकप नम्बर एचआर 61एफ 2553 को उसका चालक लेकर आया पास आने पर जाब्ता द्वारा हाथ का ईशारा देकर रूकवाया। मन् थानाधिकारी द्वारा चालक को पदनाम से अवगत करवाकर चालक का नाम पता पुछा तो चालक ने अपना नाम आकाश शर्मा पुत्र देवकरण शर्मा आयु 28 साल निवासी गांव पीपली पुलिस थाना पिलानी जिला झुन्झुनू राज. का होना बताया। पीकप में देखा तो घरेलू सामान प्लास्टिक कट्टो में पुराने कपड़ो की कतरन, पुरानी सिलाई मशीनो के पार्टस, पुरानी टूटी हुई स्टूल इत्यादि की आड़ में बड़े कार्टनो में विभिन्न किश्म की अग्रेंजी शराब के कार्टन रखे नजर आये। शराब के कार्टनो के सम्बंध में वाहन पीकप के चालक आकाश शर्मा से अपने कब्जे में रखकर परिवहन करने के सम्बंध में कोई अनुज्ञापत्र वैध दस्तावेज बाबत पूछा तो अपने पास शराब परिवहन के सम्बंध में कोई अनुज्ञापत्र ध्वैध दस्तावेज नही होना बताया। कानि० वीरमल कुमार नं. 735 को स्वंतत्र मौतबीर की तलबी हेतु निर्देश दिये गये तो कानि. वीरमल कुमार द्वारा बताया कि आस–पास कोई स्वतंत्र मौतबीर बनने तैयार नहीं मिला जिस पर हमरा जाब्ता वीरमल कुमार कानि.नं. 735 व दिनेश कानि.नं. 105 को मौतबीर मामुर कर पीकप चालक को पुलिस चौकी वैजा परिसर में लाकर मन थानाधिकारी का ई साक्ष्य एप नहीं चलने से हैड कानि. हजारीलाल नं. 512 के ई साक्ष्य एप में वीडियोग्राफी करते हुए के अन्दर से अग्रेजी शराब निचे उतराई जाकर शराब की किश्म अनुसार गिनती की गई तो (1.) Red la**b**el अंग्रेजी शराब के चार कार्टन में कुल 48 कांच की बोतल प्रत्येक बोतल में 750एमएल शराब, (2.) ballanti**n** मे अंग्रेजी शराब के चार कार्टन में कुल 48 कांच की बोतल प्रत्येक बोतल मे 750एमएल शराब, (3.) **absolut vodka** अंग्रेजी शराब के चार कार्टन में कुल 48 कांच की बोतल प्रत्येक बोतल में 750 एमएल शराब, व (4.) **dewars white label** अंग्रेजी शराब के तीन कार्टन में कुल 36 कांच की बोतल प्रत्येक बोतल में 750 एमएल शराब, इस प्रकार विभिन्न ब्रांड के कुल 15 कार्टन अग्रेंजी शराब के पाये गये..... इत्यादि पर प्रकरण संख्या 117/2026 धारा 19/54,57 राजस्थान आबकारी अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान आरंभ किया गया। दौराने तफ्तीश प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार कर **माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा** के न्यायालय में पेश किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त की ओर प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया जिस पर प्रार्थी/अभियुक्त ने यह प्रार्थना पत्र माननीय सेशन न्यायालय में पेश किया। जहां से अंतरित होकर प्राप्त होने पर इस न्यायालय में

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र की नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी तलब की गई।

2. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त/प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी / अभियुक्त को पुलिस थाना चौरासी जिला डूंगरपुर द्वारा उक्त प्ररकण मे गिरफ्तार कर माननीय **न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमलवाडा डूंगरपुर** के न्यायालय में पेश किया गया था जहां से प्रार्थी / अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा मे भेज दिया गया था। प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र 480 बीएनएसएस. दिनांक 03/6/2026 को निरस्त कर दिया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त को आपसी वैमनस्यता के कारण झूठा फसाया जो वक्त कार्यवाही रोशन होगा । प्रार्थी / अभियुक्त के उपरोक्त अनवान मे कानुन फासी अथवा मृत्युदण्ड जैसी सजा का प्रावधान नही है। प्रार्थी / अभियुक्त निर्दोष है उसे इस प्रकरण में झुठा फसांया गया है। प्रार्थी / अभियुक्त से किसी प्रकार कि बरामदगी नही कि गई है और न ही कोई बरामदगी शेष है । प्रार्थी / अभियुक्त गरीब परिवार के होने से उनके न्यायिक अभिरक्षा मे रहने से उनके परिवार पर विपरित असर पडने संभावना है ।प्रार्थी / अभियुक्त जिला झूझनु राज० का निवासी हाने से उनके जमानत पर रिहा किये जाने पर इनके कही भागने अथवा गवाहो को टेम्पर विथ किये जाने की संभावना नही है। प्रार्थी / अभियुक्त के जमानत पर रिहा किए जाने पर प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित रहने व अनुसंधान में सहयोग करने तैयार है प्रार्थी / अभियुक्त कि ओर से जमानत का यह प्रथम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है और न ही विचाराधीन है। प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी / अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जावे।

3. इसके विपरीत विद्धान अपर लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के कब्जे से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। अतः जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

4. **मैने विद्धान अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 29.05.2026 से अभिरक्षा में है। मामला प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना उचित है।**

5. अतः प्रार्थी/अभियुक्त आकाश शर्मा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस स्वीकार किया जाकर आदेश है कि प्रार्थी/अभियुक्त पच्चीस हजार रूपये की राशि की जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका

विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा की संतुष्टि का प्रकरण में विचारण पूर्ण होने तक विचारण न्यायालय में प्रत्येक सुनवाई की तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहने के आशय का पेश कर तस्दीक करा दे तो प्रार्थी/अभियुक्त आकाश को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **117/2026 पुलिस थाना चौरासी, जिला डूँगरपुर** में जमानत पर रिहा कर दिया जावे। --sd--

(प्रवीण कुमार)
अपर सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर

6. आदेश आज दिनांक 06.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के बाद खुले न्यायालय में सुनाया गया। - -sd--

(प्रवीण कुमार)
अपर सेशन न्यायाधीश, डूँगरपुर